(125)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

R 1276 PB 2017

प्रकरण क्र. : ....

राजू आत्मज कनीराम, वयस्क
निवासी – ग्राम झिरनिया,
तहसील हुजूर, ज़िला भोपाल .... प्रार्थी

विरुद्ध

01. मेसर्स जुबली ब्रोवरेज़ लिमिटेड
फ्रेंडस कॉलोनी, नई दिल्ली
द्वारा डायरेक्टर – अरविंद सिंगला
आत्मज पवन सिंगला, ग्राम कलाखेड़ी,
तहसील हुजूर, ज़िला भोपाल

02. मोहम्मद अफ़ज़ाल अहमद आयु वयस्क
आत्मज मोहम्मद अनवार मोहम्मद
निवासी – पात्रा परिघाट, गिन्नौरी, भोपाल

03. राजमल आत्मज रामलाल, वयस्क

04. धरम सिंह आत्मज हरदेव सिंह, वयस्क
निवासी – ग्राम कलाखेड़ी, तहसील हुजूर,
ज़िला भोपाल .... प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध सीमांकन आदेश दिनांक 13.07.2017, जो प्रकरण क्र. 161/अ–12/14–15 में श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय वृत–1, तहसील हुजूर, ज़िला भोपाल द्वारा पारित किया गया।

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कलाखेड़ी, तहसील हुजूर, ज़िला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 187, 191, 192, 198, 199, 200, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 271, 285, 286, 287, 288, 289, कुल क़िता 19, कुल रकबा 6.360 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु प्रतिप्रार्थी क्र. 01 ने आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें विधिवत् कार्यवाही किये बग़ैर आलोच्य आदेश के

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1276-PBR/17 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त-1 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-07-2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त-1 तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 15-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । शेखर अध्यक्ष	